

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा।

पत्रांक: 1024 /14-1

दिनांक, एटा, 21-11-2017

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय: एटा जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 किमी० 186.000 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 65.495 है संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों एवं 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन/क्षति की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक: 1683/14-10 दिनांक 21.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में दर्शायी गयी कमियों का निस्तारण कर 5 प्रतियों में प्रस्ताव आपको पुनः भेजा जा रहा है। उक्त कमियों का निस्तारण निम्न प्रकार किया गया है:-

क्र०सं०	कमियां	उत्तर
1	2	3
1	पार्ट-2 के बिन्दु सं० 4(1) में क्षेत्रफल 64.495 हे० अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित क्षेत्रफल 65.495 हे० है।	क्षेत्रफल टंकण त्रुटिवश 64.495 हे० अंकित था जिसे 65.495 हे० कर दिया गया है।
2	पार्ट-2 के बिन्दु सं० 4(1) में वनस्पति का घनत्व दशमल के बाद दो अंकों में 0.02 अंकित किया गया है जबकि वनस्पति का घनत्व दशमलव के बाद एक अंक में अंकित किया जाना चाहिए।	घनत्व 0.4 दर्शा दिया गया है।
3	पार्ट-2 के बिन्दु सं०-5 पर "working plan prescription for the forest land proposed land for diversion" में NO Data में अंकित किया गया है जोकि अपूर्ण है।	प्रस्तावित वन भूमि कार्य योजना में पट्टी वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित है। ऐसा अंकित कर दिया गया है।
4	पार्ट-2 के बिन्दु 7 पर "Approximate distance of propose site for diversion from boundary for forest(in km.)" में 0 में अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावित वन भूमि लिनियर होने के कारण इसकी दूरी निकटतम वन से Constant न होकर Variable है। निकटतम दूरी लगभग 7 कि०मी० दर्शा दी गयी है।
5	Annexure II, IV, XIV, XXII, XXXI, XXXVII, XXXXIII पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	Annexure II तथा IV एन०एच०ए०आई० द्वारा दिया गया डिमान्ड लेटर है जिसमें उनके द्वारा प्रोजेक्ट का वर्णन किया गया है। इसमें यद्यपि प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके निर्देशानुसार कर दिया गया है। Annexure XIV में संलग्न किया गया दस्तावेज Environment Clearance से सम्बन्धित है तथा सम्बन्धित EIA Notification No. SO2559E Dt. 22.08.2013 जो पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित है उस पर अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्णय पर्यावरण विभाग से लिया जाये। Annexure XXII पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। Annexure XXXI को देख लिया गया है और औपचारिकता के तौर पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। Annexure XXXVII पिछले पाँच वर्ष के ट्रैफिक डाटा से सम्बन्धित है। इस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है। औपचारिकता के तौर पर हस्ताक्षर सं० 2559



		पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। Annexure XXXXIII मानक शर्तों के पृष्ठ सं० 364 पर पूर्व में हस्ताक्षर कर दिया गया था। पुनः पृष्ठ सं० 363 पर भी हस्ताक्षर कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 12 पर लगाये ऑफ लाइन पार्ट-1 की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रस्ताव से पृथक किया जाये।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
7	Annexure IX में संरक्षित भूमि का क्षेत्र 99.328 है० दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।	Annexure IX में संरक्षित भूमि का क्षेत्र 65.495 है० दर्शा कर हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिया गया है
8	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 68 पर एन०पी० वी० की गणना निर्धारित दर पर नहीं की गयी है एवं वनस्पति का घनत्व शून्य दर्शाया गया है।	एन०पी०वी० की गणना एवं वनस्पति के घनत्व को संशोधित कर दिया गया है।
9	Annexure XV पर संलग्न एफ०आर०ए० प्रमाण-पत्र संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं किया गया है।	एफ०आर०ए० प्रमाण-पत्र पर जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रांक एवं दिनांक अंकित करवा दिया गया है।
10	प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर दिनांक सहित नहीं है।	प्रस्ताव में लगभग 200 स्थलों पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर किये गये हैं तथा यह हस्ताक्षर तैनाती अवधि में ही किये गये हैं फिर भी दिनांक अंकित कर दिया गया है।
11	Annexure XXVII अपूर्ण है।	प्रस्ताव का Annexure XXVII अपूर्ण नहीं है बल्कि बिन्दु सं० 'बी' Not Applicable दर्शाया गया था। फिर भी Annexure XXVII में संलग्न दस्तावेज से Not Applicable बिन्दु सं० 'बी' को हटाकर केवल बिन्दु सं० 'ए' रखा गया है।
12	Annexure XXIII, XXXIV की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रस्ताव से पृथक किया जाये।	Annexure XXIII, XXXIV की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रस्ताव से पृथक किया जाये।
13	Annexure XXXVIII पर प्रभागीय निदेशक की मौहर नहीं लगी है।	प्रस्ताव की 5 प्रतियां भेजी गयी थी 4 प्रतियों में हस्ताक्षर के बाद मौहर लगा दी गई थी। 1 प्रति में मौहर लगाकर भेजी जा रही है।
14	वन स्वरूप के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
15	लागत लाभ विश्लेषण के बिन्दु सं० 5 में Project details अंकित नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रोजेक्ट डिटेल्स अंकित कर लागत लाभ विश्लेषण प्रेषित किया गया है जो प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्नित है।

16.

*Signature of Letter of Recommendation*

भवदीय,

(ए०के०कश्यप)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 1024 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए०के०कश्यप)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।



**Letter of Recommendation Not below the rank of DCF**  
**(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from National Highways Authority of India for diversion under FCA-1980 of 65.495 Hectares of Protected Forest land for non-forest purpose. The project envisages the Diversion of Protected Forest Land for Rehabilitation and Up-gradation to 4 lane with paved shoulders configuration from Bhadwas to Kalyanpur section (Km 186 to Km 229.000) Package-II section of National Highway-91 in Etah District. The site inspection of the land in proposal has been done by me on dated : 02-10-2017

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is Protected Forest (PF) measuring 65.495 Hectare.

The requirement of forest land as proposed by the User Agency on col.2 of part ii is unavoidable and is the barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. There is no protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument located in the area. More over the user agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started till now and no work will be started without proper sanction. The user Agency has given the undertaking to comply with all the conditions that would be put by the state or/and Central Government during the process of getting sanction. Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. The cutting of 4940 trees for the execution of this project may in all probability change the "micro-climate" of the villages surrounding the NH- 91 in particular and Etah district in general which is further accentuated by the fact that the degraded forest land identified for compensatory afforestation was not available in Etah district but have got available in Firozabad District. This project is also connected to the construction of "bypasses" in non forest land which would also involve cutting of trees in non forest revenue land which will further deteriorate the microclimate of the region

Undersigned is of the view that the tree cutting should be avoided and the transplantation of the trees especially 201 ficus trees should be compulsorily resorted to if we really want to preserve the "microclimate" of the nearby villages in particular and etah district in general. Moreover the bypasses in non forest revenue land should be properly afforested. This sensitivity of the microclimate vis a vis tree cutting is further enhanced by the fact that there is proposed cutting of 2435 trees in another forest clearance proposal no FP/UP/Road/21109/2016 which pertains to the widening of Etah Kasganj Road in Etah district for which the Regional Empowered Committee has given the approval subject to FRA

certificate. In this project also the site for compensatory afforestation is outside Etah District that is in Agra and Hathras District.

Another fact which adds to the concern of the above possible deteriorating microclimate of the region is that Etah district has one range Jalesar which forms a part of Taj Trapezium Zone and TTZ boundary would be not more than 40 kms aerially from the NH 91.

The cost benefit analysis of the project shows a cost benefit ratio of "meager 2.09" which is further dependent on two "uncertain" outcomes –first, the benefit accruing to the economy as given in serial no- 05 of cost benefit analysis and second, the possibility of the success of compensatory afforestation over degraded forest land of 130.99 hectares in firozabad district with 80 percent survival, which in the view of the undersigned is "too optimistic".

**Hence the project is recommended in public interest subject to proper Environmental Impact Assessment/scrutiny.**

  
(A.K. Kashyap)

Divisional Director  
Social Forestry Division  
Etah